न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—141/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/141)

1. दाऊ पुत्र करीमा, जाति मेहरात, निवासी रतनपुरा सरदारा फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. सायर पुत्र करीमा, जाति मेहरात, निवासी रतनपुरा सरदारा फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 34/2023

उपस्थितः—

1. श्री सुनिल कडवासरा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—30.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश, ब्यावर के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेंटस अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.4.2014 की पालना में तहसीलदार, ब्यावर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 1.2.2017 के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 6.6.2017 को उभयपक्षों के मध्य वादग्रस्त भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी। परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 223/2017 बउनवान सायर बनाम दाऊ आदि प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय दिनांक 22.4.2019 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने पुनः प्रकरण में उभयपक्षों की सुनवाई प्रारम्भ कर, रेस्पोडेंट संख्या 01 की आपत्तियों का विधिवत निस्तारण कर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः दिनांक 6.1.

2021 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.1.2023 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारम्भ की। तहसीलदार, ब्यावर से दिनांक 20.6.2023 के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। उनके आधार पर पुनः अंतिम डिक्री दिनांक 19.3.2024 पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी ज्यादा पढा लिखा नहीं होकर अशिक्षित पेशा काश्तकारी व मजदूरी व्यक्ति है जो कानून के बारे में जानकारी नहीं रखता है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के बाद हाल में ही दिनांक 10.2.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 ने आराजी खसरा संख्या 846 में स्थित कुए से प्रार्थी को धोरे से पानी अपनी भूमि में ले जाने से मना कर दिया व धोरे को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया तब प्रार्थी को धोरे बाबत व अनावश्यक रास्ता बाबत निर्णय पारित करने की जानकारी हुई। प्रार्थी ने दिनांक 13.2.2025 को निर्णय एवं डिक्री व अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर विधिक राय प्राप्त की तो प्रार्थी के अभिभाषक ने न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय दी। प्रार्थी उसके बाद अपने गांव गया व फीस खर्चा आदि की व्यवस्था कर दिनांक 6.3.2025 को अजमेर पहुंचा व अभिभाषक नियुक्त कर यह अपील अविलंब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती बल्कि विलंब उपरांकित कारणों से हुआ जो सदभाविक होकर क्षमा किए जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि विपक्षी अपीलांट को यह पूर्ण रूप से भली भांति जानकारी है कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2023, 66/2013, 2023/78 बउनवानी दाउ बनाम सायर में दिनांक 19.3.2024 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है चूंकि संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एल0आर0एक्ट संख्या 46/2024 बउनवानी सायर बनाम दाउ के निर्णय दिनांक 31.7.2024 के पृष्ठ संख्या 5 के ऊपर पांचवी लाईन में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आदेश अंतर्गत अपील संख्या 253/2022 बउनवानी सायर बनाम दाउ में दिनांक 25.1.2023 की पालना में दिनांक 19.3.2024 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। जो कि स्वयं अपीलांट द्वारा कथन किया गया है जो इस बात की ताईद करता है कि विपक्षी अपीलांट को निर्णय व डिक्री दिनांक 19.3.2024 की पूर्ण जानकारी है इसके बावजूद भी अपीलांट ने झूठे तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए कानूनन मियाद में कोई नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता इसलिए विपक्षी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम झूठे तथ्यों पर आधारित होने से एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने से मियाद के बिंदु पर ही निरस्त किए जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अगर स्वच्छ हाथों से नहीं आता है तो वह कानूनन किसी भी तरह की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम झूठे शपथ पत्र एवं झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किए जाने से मियाद बिंदु पर ही काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। वर्तमान अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनते हुए प्रकरण में दिनांक 19.3.2024 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 10.3.2025 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है।

अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के माध्यम से कथन किया कि दिनांक 10.2.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 ने आराजी खसरा संख्या 846 में स्थित कुए से प्रार्थी को धोरे से पानी अपनी भूमि में ले जाने से मना कर दिया व धोरे को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। तब प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। प्रार्थी ने दिनांक 13.2.2025 को निर्णय एवं डिक्री व अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय की प्रतिलिपि दिनांक 13.2.2025 को प्राप्त की गई है। परंतु यह कहना गलत नहीं होगा की उक्त निर्णय बाबत अपीलांट को किसी भी तरह की जानकारी नहीं रही हो, क्योंकि उक्त निर्णय बाबत अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी था अर्थात् उक्त वाद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलांट को उक्त बाबत किसी भी तरह की जानकारी नहीं रही हो। चूंकि संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 46/2024 बउनवानी सायर बनाम दाऊ के निर्णय दिनांक 31.7.2024 के पृष्ठ संख्या 5 के ऊपर पांचवी लाईन में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आदेश अंतर्गत अपील संख्या 253/2022 बउनवानी सायर बनाम दाऊ में दिनांक 25.1.2023 की पालना में दिनांक 19.3.2024 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित हो चुकी है जो स्वयं अपीलांट द्वारा कथन किया गया है। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान अपीलांट को उक्त आदेश बाबत किसी भी तरह की अनभिज्ञता रही हो। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से मात्र साधारणतः कथन किया है कि उन्हें दिनांक 10.02.2025 को अप्रार्थी द्वारा कुए से पानी ले जाने के लिए मना कर दिया। इसका उनके द्वारा कोई समुचित कारण न्यायालय को नहीं बताया गया है। चूंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार विलंब के एक एक दिन का

विवरण व कारण न्यायालय को अपील के माध्यम से बताना अनिवार्य है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बिना किसी स्पष्ट कारणों के अभाव के प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय है कि पक्षकार न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपना उपचार मांगे इसका दुरूपयोग नहीं करे। परंतु उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा परिसीमा नियमों का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत ऐसे कोई पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे न्यायालय हाजा संतुष्ट हो सके कि प्रार्थी द्वारा बताए गए कारण सदभाविक है व प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी इतनी अवधि पश्चात भी नहीं हो सकी। जिससे न्यायालय हाजा पूर्ण रूप से सहमत हो सके। परंतु उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो कारण अंकित किए गए है व केवल मात्र प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय बाबत उनकी ओर से मनगढत व जानबूझकर अंकित किए गए कारण प्रतीत होते है। चूंकि अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए है, उन्हें उक्त निर्णय बाबत जानकारी थी, इसलिए न्यायायल हाजा द्वारा किसी प्रकार से उक्त मियाद अवधि को कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

RRD SEPTEMBER, 2000 PAGE 421

Limitation act, 1963-sec.5- *In application u/s 5,Limitation act, reason given is not satisfactory- Appellant was negligent inspite of knowledge- order of R.A.A not condoning delay, held justified.*

प्रस्तुत न्यायिक नजीर के अवलोकन से उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर पूर्णरूप से चस्पा होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

7. अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर